स्वतंत्रोत्तर भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था तथा सामाजिक समावेशन के सम्बन्ध में नेहरू व अम्बेडकर की वैचारिक नीतियों के प्रभाव का अध्ययन

हेमा देवी*

प्रस्तावनाः–

भारतीय समाज परम्परागत रूप से असमानता और अन्याय पर आधारित रहा है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में सामाजिक समावेशन पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया अर्थात् स्वतंत्रोत्तर भारत में सामाजिक समावेशन पर आधारित समाजवादी व्यवस्था के विकास पर जोर दिया गया। इसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। जिसके साथ ही नियोजित आर्थिक विकास अन्त्योदय एवं सर्वोदय की स्थापना पर जोर दिया गया।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रायः जाति आधारित पिछड़ा वर्ग समुदाय सदैव ही विषमतामूलक व विभाजक नीति का पोषक रहा है। स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में यद्यपि नई सुधार नीतियों के माध्यम से इन सभी समस्याओं के निदान के प्रयत्न किए गए। नेहरू एवं अम्बेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से नई सामंजस्यपूर्ण नीतियों का क्रियान्वयन किए जाने का मार्ग खुला। जो लोकतान्त्रिक समाज का पर्याय बना। सामाजिक व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन हुए। जिससे समाज में व्याप्त निर्धनता, रोजगार व आय तथा रोटी, कपड़ा और मकान सम्बन्धी सुविधाओं के माध्यम से निर्धन समाज को इन सभी आवश्यक सुविधाओं तक समान पहुँच बनाने का कार्य शुरू किया गया।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतो, विषय से सम्बन्धित पुस्तकों, जनरल, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य स्वतंत्रोत्तर भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था तथा सामाजिक समावेशन के प्रश्नों पर नेहरु एवं अम्बेडकर के विचारो के प्रभावो का अध्ययन करना है।

प्रमुख बिन्दु

सभ्यता के प्रारम्भ से ही समाज दो वर्गों (शासक, शासितों) में बँटा हुआ होने के कारण राजनैतिक क्षेत्र में भी बँटा हुआ है। इसमें शासक वर्ग अधिक सक्रियता के साथ राजनीतिक क्रिया–कलापों से जुड़े हुए है। जबकि शासित वर्ग शासक वर्गों की इच्छानुसार ही कार्य करते है।

एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था उसे माना जाता हैं, जिसमें जनसंख्या की अधिक से अधिक भागीदारी हो तथा शासन व्यवस्था में जनता का सभी स्तरों पर सामूहिक रूप स्पष्ट हो, क्योंकि जन सहभागी प्रजातंत्र का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।[1]

एक कुशल राजनीतिक व्यवस्था का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि शासन व्यवस्था में कितने लोग सम्मिलित है। राजनीतिक व्यवस्था को तीन भागों में बाटा जा सकता है–

परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था– परम्परागत राजनैतिक व्यवस्था समाज के प्रारम्भिक विकास मे पायी जाने वाली व्यवस्थाऐं हैं।

संक्रमण कालीन व्यवस्था– यह व्यवस्था न ही परम्परागत व्यवस्था से मुक्त होती है और न ही आधुनिकता के सभी लक्षणों से पूर्ण होती है। यह इन दोनों के बीच की व्यवस्था है।

***शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग, डी. एस. बी. परिसर, नैनीताल**

आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था– आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था उन्नतिशील राजनैतिक आधुनिकी करण का पर्याय मात्र होगा।[2]

स्वतंत्रोत्तर समाज के परम्परागत ढ़ाँचे में मौलिक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। समानता और स्वतंत्रता के आधार पर नये समाज की रचना की गयी। असहाय, निर्बलो और पिछड़े वर्गो के लिए विशेष सुविधाएं तथा सुरक्षोपाय का प्रावधान किया गया। इन नवीन संरचनात्मक सम्बन्धों के स्थापित होने की प्रक्रिया में समाज के परम्परागत सम्बन्धों में विषमता होना स्वभाविक था। संक्रमणकालीन व्यवस्था में नवीन संरचनात्मक परिवर्तनों के एक विभेदित दुष्कार्य के रुप में कमजोर वर्गो की सामाजिक दुरावस्था, स्वतंत्रोपरान्त एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक समस्या के रुप में दृष्टिगोचर हुई।[3]

भारतीय सामाजिक व्यवस्था अराजनैतिक रही है। क्योंकि एक टिकाऊ सत्ता राजनैतिक केन्द्र या सत्ता का निर्माण नहीं कर सकी, परन्तु समाज के विखण्डित ढ़ाँचे में राजनैतिक संस्थाओं, मूल्यों और विचारों के प्रवेश के कारण अब यहाँ एक राजनैतिक केन्द्र की स्थापना की गयी है तथा समाज के विभिन्न वर्गो को राजनैतिक व्यवस्था में स्थान मिला है। अब तक जो निर्धन व पिछड़े वर्ग तथा ग्राम समुदाय राजनैतिक व्यवस्था से दूर थे, वे इसके करीब आ रहे है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सामाजिक एकता में वृद्धि एक प्रमुख चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य में व्यापक जनकल्याणकारी कार्यो को सम्पादित किया गया। जिनका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन में व्याप्त विषमताओं को दूर करके देश के प्रत्येक वर्ग समुदाय कि प्रगति व विकास करना था। इस प्रगति व समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाएं चलाई गई। जिनके माध्यम से जनता की उन्नति व विकास करके समाज तथा राजनीति में प्रवेश होना तय किया गया। भारतीय राजनैतिक व्यवस्था परस्पर दो विरोधी तत्व केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रिकरण का एक अद्भुत समन्वय है। एक ओर यहॉ संघात्मक शासन व्यवस्था की गयी है, वहीं दूसरी ओर राज्यों की स्वायतता प्रदान की गयी है। संविधान द्वारा ऐसा इस लिए किया गया कि संकटकालीन परिस्थितियों में देश की रक्षा की जा सके।

दूसरी ओर भारतीय राजनैतिक व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक विकेन्द्रिकरण के द्वारा जनता को शासन के कार्यो में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। राजनैतिक प्रक्रिया में समावेशन के पहलू से सम्बन्धित मुख्य प्रश्न भारत के सामने शुरु से ही रहे है। समाज के विभिन्न वर्गो में विषमता को दूर करके समानता लाना, जीवन निर्वाह के न्यूनतम साधनों तक जन साधारण की पहुँच बढ़ाना। विभिन्न कमजोर व पिछडे वर्गो को सामाजिक, राष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल करना। सरकारी गतिविधियों द्वारा देश मे एकता की स्थापना तथा उसका दृढ़ीकरण, शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ रोजगार के अवसर किस प्रकार बढाये जाये, विकास कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा पिछडे वर्गो को लाभ में प्राथमिकता किस प्रकार दी जाये।

नेहरू एवं अम्बेडकर के विचारों का प्रभाव :

नेहरु के शब्दों में, ''हमें भारत के भविष्य का निमार्ण करना है। मेरे ऊपर हम सबके ऊपर तथा देश के ऊपर इतिहास ने यह भार डाला है, इसी भावना से में इन समस्याओं का सामना करता हूँ।[4]

राजनैतिक विकास कि बुनयादी समस्या समावेशन कि है। अर्थात नये राजनैतिक केन्द्र बिन्दु की स्थापना तथा दृढ़ीकरण विभिन्न संस्थाओं का निर्माण विविधता को एक सूत्र में एकत्रित कर एक राष्ट्र का निर्माण अर्थात समावेशन की क्षमताओं का विकास यही मुख्य प्रश्न हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सम्मुख समस्या बनकर उभरे। नेहरु ने इस सम्बन्ध में कहा था, **''मेरे जीवन का मुख्य कार्य भारत का समावेशन व एकीकरण है।''**[5]

स्वतंत्रता के पश्चात् नयी राजनैतिक व्यवस्था को मान्यता मिली। यह नयी व्यवस्था देश को विभिन्न धाराओं से जोड़ने वाली कड़ी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस प्रक्रिया में आधुनिकता की विचारधारा और मूल्य नई राजनैतिक व्यवस्था से सम्बन्धित तथा जनता में प्रसारित हो सके। नयी राजनैतिक व्यवस्था समाज के विभिन्न तत्वों के बीच मध्यस्थता की भूमिका अदा करने लगी और समाज में जो पिछड़ेपन का भाव उत्पन्न हुआ, उसमें कमी दिखाई देने लगी। स्वतंत्रता के पश्चात् नई सरकार ने जो कदम उठाए उससे पुरानी व्यवस्था में शिथिलता आई यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् नई सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था के समक्ष गरीबी, पिछड़ेपन की समस्या विद्यमान थी। फिर भी नई व्यवस्था ने इन सभी समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया।

जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की स्थिति हर क्षेत्र मे निराशाजनक थी। देश का औद्योगिकीकरण एवं योजनाबद्ध विकास करना था। भारत को सामाजिक, आर्थिक समस्यायें विरासत में मिली। गरीबी, बेकारी कमजोर वर्गो की दयनीय स्थिति आदि समस्याऐं देश में ब्रिटिश उपनिवेश वादी नीति के कारण पैदा हुई थी। इन समस्याओं के निदान के लिए 1938 में नियोजन के महत्त्व को स्वीकार किया गया और उस समय कांग्रेस ने नेहरु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन की स्थापना की गयी।[6]

जवाहर लाल नेहरु ने कहा– ''भारत की सेवा का अर्थ होता है उन लाखों लोगों की सेवा जो कष्ट सह रहे है। इसका अर्थ है गरीबी और अज्ञान तथा रोजगार के अवसर की असमानता को समाप्त करना।'' स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा की कि, ''हमारे विचार में अन्य लोगों की भाँति भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि अपने श्रम, फल का उपभोग करे। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं और उन्नति के पूर्ण अवसरों की प्राप्ति करें।[7] वहीं अम्बेडकर जाति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की क्रूरताओं से न केवल परिचित थे, अपितु भुक्तभोगी भी थे। इसलिए वे जाति भेद–भाव पूर्ण ग्रामीण समाज की पृष्ठभूमि से असहमत थे। नेहरु लोकतंत्रात्मक समाजवादी थे। भारत के स्वतंत्र होने के तुरन्त बाद नेहरु ने सर्वप्रथम लोकतंत्रात्मक समाजवाद को भारतीय संविधान की सभी मुख्य धाराओं में सम्मिलित किया। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर भारत ने नियोजन द्वारा आर्थिक विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। नेहरु के नेतृत्व में आवडी कांग्रेस ने सन् 1955 में स्वीकार किया कि, भारत समाजवादी ढ़ंग का समाज निर्माण करने की दिशा में कार्य करेगा इस मुख्य फैसले के अनुसार नेहरु सरकार द्वारा पॉच प्राथमिकताएं सुनिश्चित की गयी।

मजदूरों की उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदारी, सहकारिता को प्रोत्साहन, सामाजिक समावेशन, सम्बन्धित कार्यो की पूर्ति, भूमि सुधार।

26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होने के पश्चात् संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत यह घोषणा की गयी कि, ''राज्य जनता के कल्याण अभिवृद्धि हेतु प्रयास करेगा और ऐसी सामाजिक व्यवस्था की यथासम्भव प्रभावशाली रूप में स्थापना करके उसकी रक्षा करेगा, जिसके अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक समावेश राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में व्याप्त होगा।

एक समाज के सामाजिक समावेशन के दो प्रमुख आयाम है, एक समाज के सबसे गरीब वर्ग का आर्थिक उत्थान और दूसरा सामाजिक, राजनैतिक व शैक्षिक असमानता को समाप्त करना। इन दोनों ही आयामों में अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गो का उत्थान सम्मिलित है। स्वाधीनता के पश्चात् संविधान निर्माताओ ने अनुसूचित जातियो व पिछड़े वर्गो की दशा मे सुधार के लिए राष्ट्र नीति निर्धारण में इन वर्गो के समावेशी विकास को प्रमुखता दी है। संविधान के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्गो के विकास के विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। राष्ट्रीय नीति में विभिन्न पक्षों पर विशेष बल दिया गया वे निम्नलिखित है–

सामाजिक उन्नति : सामाजिक उन्नति में सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व पिछड़ों के कल्याण कार्यक्रमों को ध्यान मे रखते हुए। अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए गैर–सरकारी एजेंसियों के निर्माण के लिये प्रयास करना सम्मिलित है।[8]

स्वास्थ्य सुविधा : अनुसुचित जातियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और स्वच्छ पेयजल तथा भोजन की सुविधा सभी वर्गो तक पहुँचाना।

शैक्षिक प्रगति : पिछडे वर्गों के विकास मे सर्वाधिक महत्त्व इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए इनके लिए छात्रावास की सुविधा, छात्रवृत्ति, अनुदान इत्यादि प्रमुख थी, नीति निर्धारण में प्राविधिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जिससे कि यह वर्ग रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर सके।

नेहरु के विचार में सामुदायिक योजनाओं का महत्त्व केवल समृद्धि को बढ़ाना ही नहीं अपितु इसके द्वारा भारतवासी अपने गाँव, शहर को बड़ी मात्रा में पूरे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने और स्वयं भी इन सभी सुविधाओं से जुड़कर आगे बढ़ने में सक्षम हो जायेंगे तभी देश की उन्नति सम्भव है। नेहरु ने समाजवादी चिन्तन में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो के लिये भी स्थान सुरक्षित किये क्योंकि जब तब पिछड़े वर्गो की उन्नति नहीं होगी, तब तक समावेशन के लक्ष्य को पूर्ण नही किया जा सकता।

शैक्षिक सुविधाएं

अम्बेडकर के प्रयत्नों के फलस्वरूप

देश में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोग, जो कि अशिक्षित व दिशाहिन है। स्वाधीनता के उपरान्त इनके शैक्षिक विकास के लिए व्यापक कदम उठाये गये है। जिसमे सभी विद्यालयों में तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में कमजोर वर्गो के लिए सीटों का आरक्षण है तथा केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पाठ्य–पुस्तकें, यूनिफॉर्म की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रो में सरकार द्वारा पूर्णकालिक शिक्षक अथवा शिक्षा कर्मियों वाले स्कूल खोले गये है।

हरिजन सेवक संघ

यह राष्ट्रीय स्तर की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, जो अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है। जिसकी स्थापना 1934 में की गयी थी। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्न है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जाति संरचना में अनुसूचित जातियों कि निम्न परिस्थितियों को हिन्दुओं के समान स्तर पर प्रयास करना।[9]

अम्बेडकर फाउण्डेशन

भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन की स्थापना 24 मार्च 1992 को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गयी थी। जिसका उद्देश्य भारत और विदेशो में बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा और संदेश को प्रसारित करना है। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नाकिंत उपलब्धियाँ हासिल की गयी–

अम्बेडकर चिकित्सा सहायता के अन्तर्गत 25 व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए 6.25 लाख रू. दिये गये तथा विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की गयी।[10]
इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना (पी0ओ0ए0) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में योजनाओं के अन्तर्गत विशेष प्रावधान किये गये। उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी राज्यो के सरकारी प्राथमिक स्कूलो में शिक्षा शुल्क की समाप्ति। इन वर्गों की छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, स्कूल बैग इत्यादि की व्यवस्था।

6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नेहरु व अम्बेडकर के विचारों के परिणामस्वरुप सरकार ने सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय समावेश पर बल दिया है। कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर अधिक से अधिक ध्यान दिया गया है। जिसके परिणामस्वरुप 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयासो में सुधार करने का अवसर दिया है तथा उपेक्षित वर्गो का समावेश केन्द्र सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है।[11]

केन्द्र तथा राज्य सरकार लोक कल्याण से जुड़े कार्यक्रम बनाती है। लेकिन लोग अपनी निरक्षरता के कारण कार्यक्रमों का उतना लाभ नहीं उठा पाते जिसके कारण अनुचित व्यवस्था तथा लापरवाही के कारण अधिकांश लोग इससे वंचित रहते है जनसाधारण तक इसका लाभ नही पहुँच पाता है।

आज आवश्यकता है कि जातियों व उपजातियों मे बँटे समाज का एकत्रीकरण हो, साथ ही शासन भी अपने कार्यों में सुधार करे, तथा विशेष सुविधाओं का उपयोग जिन्हें इनकी आवश्यकता है, विशेष रूप से कमजोर तथा पिछड़े वर्गों को मिलें। तभी समाज के सभी निर्बल व कामजोर वर्ग समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इन जन कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जिससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सामाजिक व आर्थिक विकास की बुनियाद को मजबूत किया जा सकें। तभी नेहरु और अम्बेडकर के समावेशन से सम्बन्धित सभी प्रयत्न फलीभूत होगें।

सन्दर्भ :–

1 भामरी सी0पी0 एवं वर्मा पी0एस0, द अरबन वोटर्स, न्यू देहली, 1973, पृ0 सं0 73–74

2 बोरा नीता, अनुसूचित जातियों के विकास में आरक्षण की भूमिका, प्रकाशन आचार्य नरेन्द्र देव शोध संस्थान, नैनीताल 1991, पृ0 सं0 25

3 मल पूरन, बाबा साहब बी0 आर0 अम्बेडकर : जीवन और संघर्ष, पोइन्टर पब्लिसर्स, जयपुर 2008, पृ0 सं0 123

4 कोठारी रजनी, भारत में राजनीति, ओरिएण्टल लॉगमैन लिमिटेड, दिल्ली, पृ0सं0 300 वही, पृ0 सं0 189

5 राधामोहन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मोहन प्रकाशन, नैनीताल, 1978–79, पृ0 सं0 76

6 शर्मा शंकर दयाल, चेतना के स्त्रोत, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 1993, पृ0 सं0 22

7 बोरा नीता, अनुसूचित जातियों के विकास में आरक्षण की भूमिका, आचार्य नरेन्द्र देव शोध संस्थान नैनीताल, 1991, पृ0 सं0 322–324

8 प्रतियोगिता दर्पण, अनूसूचित जातियों के कल्याण की योजनाएँ, अगस्त 2002, पृ0 सं0 77–78

9 खान एस0 एम0, सामान्य अध्ययन, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ भारत 2010 प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना भवन, नई दिल्ली, पृ0 सं0 1091

10 सिंह मनमोहन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधक सरकार, जनता के लिए रिपोर्ट, 2009–10, नई दिल्ली, पृ0 सं0